

दिनांक		क्रमांक व दिनांक
14.8.18	<p>जाखली पत्र (क) व कुलपति उपर। वकील जरी ने कहा कि वे प्रमाण को मांग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसी स्तर पर नॉट वेस जारी करवाना चाहते हैं। वकील जरी का निवेदन स्वीकार कर ज.प.उ. अ. 09R13 व धारा 151 CPC Not पठेंस जारी किया जा रहा है। जाखली केवल मुकदमे संकाय नम्बर से कागज व दस्तावेज दफतार है।</p>	<p>NOT          प्रमाणों से          ✓</p> <p>उपखण्ड अधिकारी          उदयपुरवादी (उदर)</p>